

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III/ 3878-3898

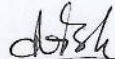
दिनांक :- 16/6/2014

कार्यालय आदेश - 13/14-15

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 4 में अंकित कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ लेखाकार के पद का कार्य (सप्ताह में दो दिवस) भी अग्रिम आदेशों तक सम्पादित करेंगे। कनिष्ठ लेखाकारों की कमी को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यवस्था की गई है। अतः सम्बन्धित विभाग/कार्यालय सम्बन्धित कर्मचारियों को बिना विलम्ब के अतिरिक्त कार्य हेतु कार्यमुक्त करने का श्रम करे :-

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने वाले कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	मनीष बल्दवा 25/2008	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	उप श्रम आयुक्त, चित्तौड़गढ़
2	सूर्य प्रकाश माथुर 551/94	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, पाली	सहायक श्रम आयुक्त, पाली
3	मुकेश कुमार बागड़ी 41/08	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, गंगानगर	उप श्रम आयुक्त गंगानगर
4	विजय कुमार गुप्ता 33/2011	परियोजना अधिकारी, जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा	सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाड़ा
5.	राकेश शर्मा 276/94	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक	सहायक श्रम आयुक्त, टोंक

उक्त कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अनुसार नियमानुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।


(वीरबाला जोशी)

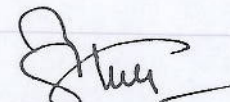
निदेशक

क्रमांक- एफ.4(ई)(अति.कार्य)अलेसे-III/ 3878-3898

दिनांक :- 16/6/2014

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, श्रम, नियोजन, कर्मचारी राज्य बीमा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
3. श्रीक0लेखाकार,कार्यालय.....का प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे सम्बन्धित कार्यालय में भी कार्य सम्पादित करें ।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/ रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)